



कार्यालय: राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०-834001

E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक:- 1727 /

दिनांक:- 25-08-2020

बन्दोबस्ती की सूचना

जयपाल सिंह स्टेडियम के दक्षिण भाग में नव-निर्मित अटल स्मृति वेंडर मार्केट के तृतीय तल में निगम स्वामित्व की 23 Office/commercial Space को मासिक किराये पर आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। Office/commercial Space का आवंटन खुली डक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को Office/commercial Space आवंटित की जायेगी। डक की Base price 40/- ₹0 प्रति वर्गफीट प्रतिमाह (कर अतिरिक्त) निर्धारित है। जमानत की राशि के रूप में 100/- ₹0 प्रति वर्गफीट के दर से बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। Office/commercial Space का क्षेत्रफल एवं निविदा का आमंत्रण निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	कार्यालय संख्या	कार्यालय का क्षेत्रफल	जमानत की राशि	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पादन की तिथि
1	01	1484	148400	दिनांक 22.09.2020 अपराहन 1:00 बजे तक	दिनांक 22.09.2020 अपराहन 03:00 बजे
2	02	1002	100200		
3	03	1182	118200		
4	04	1326	132600		
5	05	1814	181400		
6	06	938	93800		
7	07	1033	103300		
8	08	990	99000		
9	09	990	99000		
10	10	1532	153200		
11	11	1695	169500		
12	12	1055	105500		
13	13	1029	102900		
14	14	1456	145600		
15	15	1412	141200		
16	16	753	75300		
17	17	1402	140200		
18	18	1286	128600		
19	19	1300	130000		
20	20	1281	128100		
21	21	1048	104800		
22	22	1640	164000		
23	23	1665	166500		





नोट -1. आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2020 से 12.09.2020 तक किसी भी कार्य दिवस को निगम कार्यालय से 500/- रू0 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

बन्दोबस्ती के नियम एवं शर्तें निगम वेब-साईट www.ranchimunicipal.com पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।




कार्यालय राँची नगर निगम, राँची । निविदा की शर्तें ।

- 1 डाक की Base price 40/-रु0 (कर अतिरिक्त) प्रतिवर्गफिट प्रतिमाह है।
- 2 आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2020 से 12.09.2020 तक 500/-रु0 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
- 3 निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।
- 4 डाक में भाग लेने के वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रूप में 100/-रु0 प्रति वर्गफीट की दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, राँची नगर निगम राँची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
- 5 सफल निविदादाता को जमानत की राशि के रूप में 03 माह किराया का समतुल्य राशि जमा करना होगा तथा जमानत की राशि भी समायोजित कर ली जायेगी।
- 6 निविदा प्रस्ताव में Office/Commercial Space संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 7 आवंटन अवधि 10 वर्ष के लिए मान्य होगा।
- 8 डाक राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा की जायेगी।
- 9 सफल निविदादाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
- 10 डाक के एक सप्ताह एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।
- 11 डाक वक्ता को पहचान के रूप में आवश्यक कागजात, (आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति) प्रस्तुत करना होगा।
- 12 प्रत्येक माह के 10 तारिख तक अग्रिम मासिक किराया जमा करना होगा।
- 13 Office/commercial Space में जल एवं विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।
- 14 Office/commercial Space आवंटन रद्द किये जाने या Office/commercial Space छोड़ने की स्थिति में जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी। परन्तु Office/commercial खाली करने के एक माह पूर्व निगम कार्यालय को सूचित करना होगा।
- 15 किसी प्रकार की मरम्मत या स्वरूप में बदलाव के पूर्व निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 16 Office/commercial Space का स्वामित्व राँची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरीक्षण करने को स्वतंत्र होंगे।
- 17 किसी भी समय बिना किसी सूचना के डाक रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को सुरक्षित होगा।
- 18 Bidding Office/Commercial space के मासिक किराया निर्धारण हेतु होगा।
- 19 Govt/PSUs संस्था छोड़ सभी निविदादाता को Pre-bid EMD जमा करना अनिवार्य होगा।





- 20 सफल डाकवक्ता का Pre-bid EMD, Security Deposit में परिवर्तित किया जायेगा, अगर सफल डाकवक्ता तय समय-सीमा में एकरारनामा करने में असफल होते हैं तो उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा।
- 21 निर्धारित मासिक किराया प्रति तीन वर्ष में 10% वृद्धि की जायेगी।
- 22 मासिक किराया के अतिरिक्त Maintenance चार्ज नियमानुसार देय होगा।
- 23 सफल बिडर द्वारा दो महीना का मासिक किराया जमा नहीं किये जाने पर एकरारनामा रद्द किया जायेगा एवं उनका Security deposit/Advance जब्त कर लिया जायेगा।
- 24 यदि सफल बिडर (Govt/PSU के अतिरिक्त) अपना स्थान 1 वर्ष पश्चात रिक्त करता है तो उनका Security Deposit निगम के द्वारा बिना interest वापस कर दी जायेगी, बशर्ते उनके कोई भी बकाया निगम में न हो। एक वर्ष के पूर्व स्थान रिक्त करने पर Security Deposit जब्त कर लिया जायेगा।
- 25 किसी तरह का अवैध व्यापार/गलत कृत पाये जाने पर एकरारनामा रद्द करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- 26 Sub leasing/sub letting की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 27 Office/Commercial Space का विज्ञापन JMA rule 2011 के अनुरूप होगा।
- 28 बिजली बिल का भुगतान सफल डाकवक्ता के द्वारा किया जायेगा।
- 29 बाजार शाखा से आवेदन प्रपत्र क्रय का रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं आवेदन प्रपत्र क्रय करने वाले व्यक्ति ही निविदा में भाग ले सकते हैं।


उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।